इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह अल-मुनज्जिद

139434 - निजी जरूरतों के लिए मस्जिद के लिए वक्क्स संपत्ति का उपयोग करना जायज नहीं है

प्रश्न

क्या कोई मुसलमान उस ज़मीन पर दुकान खोल सकता और चला सकता है जो मस्जिद की संपत्ति का हिस्सा है?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।.

यदि यह भूमि जिस पर वह निजी दुकान बनाना चाहता है, मस्जिद के लिए वक्फ़ की गई भूमि है, अर्थात् यह उस मस्जिद का हिस्सा है जो नमाज़ के लिए तैयार की गई है, या यह उसके मुलहक़ा (मिले हुए) हिस्से में से है : तो इसे किसी भी परिस्थिति में निजी ज़रूरतों और व्यक्तिगत मामलों के लिए उपयोग करना जायज़ नहीं है। बल्कि यह अल्लाह के हक़ में और मुसलमानों के हक़ में अपराध और अतिक्रमण की श्रेणी में आता है।

लेकिन अगर वह ज़मीन लाभ उठाने और मस्जिद पर खर्च करने के लिए वक्न्फ़ की गई थी, तो उस पर दुकानें बनाने में कोई आपित्त की बात नहीं है। लेकिन उनपर किसी व्यक्ति विशेष का मालिकाना हक नहीं होगा, बल्कि वे मस्जिद के वक्न्फ़ के रूप में बाक़ी रहेंगी और उनसे प्राप्त होने वाली आय को मस्जिद पर या अन्य धर्मार्थ साधनों (अच्छे कार्यों) पर वक्न्फ़ स्थापित करने वाले द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार खर्च किया जाएगा।

शैख इब्ने बाज़ रहिमहुल्लाह से पूछा गया :

मस्जिद के प्रांगण में उसमें रहने के लिए भवन निर्माण करने का क्या हुक्म है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह प्रांगण मस्जिद के हॉल का हिस्सा है, और इसमें जमाअत की नमाज़ अदा की जाती है। यदि यह निर्माण पूरा हो गया है, तो मस्जिद के प्रभारियों को क्या करना चाहिए?

उन्होंने जवाब दिया:

"मस्जिद की ज़मीन पर कुछ भी नहीं बनाया जाना चाहिए। अगर ज़मीन मस्जिद की है, तो उस पर कुछ भी नहीं बनाया

इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह अल-मुनज्जिद

जाएगा। बल्कि, वह मस्जिद के विस्तार के लिए बाक़ी रहेगी, लोगों की संख्या अधिक होने पर उसमें नमाज़ पढ़ी जाएगी और उसमें से कुछ भी नहीं लिया जाएगा। बल्कि वह मस्जिद के लिए अतिरिक्त विस्तार के रूप में बाक़ी रहेगी। अगर इमाम, या मुअज्जिन, या पुस्तकालय के लिए, या मस्जिद की ज़रूरतों के निर्माण के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वह मस्जिद के बाहर होना चाहिए। यदि कोई चीज़ (जगह) है, तो इसे मस्जिद के बाहर बनाया जाए, या परोपकारी लोगों की मदद से कोई ज़मीन खरीदकर वहाँ इसका निर्माण किया जाए। तात्पर्य यह है कि मस्जिद के प्रांगण और उसके सहन को मस्जिद के विस्तार के रूप में छोड़ दिया जाएगा।" उद्धरण समाप्त हुआ।

"मजमूओ फ़तावा इब्न बाज़" (30/83-84)

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।